पत्र सं०–6 एस०एस०(6)32/2012– 873/

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान हेतु रुपये 6.05 लाख (छः लाख पाँच हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के लिए पूरक योजना की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०–1981, दिनांक–07.05.2025 के द्वारा कुल रुपये 5460.50 लाख (चौवन करोड़ साठ लाख पचास हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान हेतु रुपये 6.05 लाख (छः लाख पाँच हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के लिए पूरक योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी–''क'' के रूप में संलग्न है।

2) उक्त राज्यादेश के साथ संलग्न व्यय विवरणी–I के द्वारा राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत संविदा के आधार पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं एम्बुलेट्री वैन के चालक के मानदेय भुगतान हेतु कुल रुपये 3340.00 लाख (तैंतीस करोड़ चालीस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त राशि में मुख्यालय स्तर पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान (बकाया राशि सहित) हेतु रुपये 76.75 लाख (छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत है।

3) वर्तमान में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार के द्वारा ज्ञापांक–4446(नि०), दिनांक–29.12.2025 के माध्यम से रुपये 6.05 लाख (छह लाख पाँच हजार) मात्र की अतिरिक्त राशि की अधियाचना की गयी है।

4) वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य" के तहत पर्याप्त योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

5) वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना अन्तर्गत व्यय का विकलन बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0130 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007960130 के तहत 2802 –संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष से किया जाना प्रस्तावित है (व्यय विवरणी–क संलग्न)।

6) इस योजना के तहत प्रस्तावित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना होंगे।

7) चूँकि यह चालू राज्य स्कीम है तथा इसे आगे भी चालू रखना नितान्त आवश्यक है। इसलिए बिहार कार्यपालिका नियमावली (संशोधन) 2007 के नियम, 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची–'क' के उप नियम–4 एवं नियम–ग(2) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में पूरक योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)32/2012 के पृष्ठ–284/टि० एवं दिनांक–30.01.2026.

8) निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जवाबदेह होगे। साथ ही स्कीम में स्वीकृत राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कराना सुनिश्चित करायेंगे।

9) राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है संचिका संख्या०–6 एस०एस०(6)32/2012 के पृष्ठ–282/टि० तथा डायरी सं०–46, दिनांक–19.01.2026.

10) वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012–873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा) /योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012–873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012–873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012–873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय बजट शाखा/पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012–873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012–873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (ले० एवं प०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012– 873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी/विभागीय योजना शाखा–6 के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)32/2012– 873 /पटना–15, दिनांक–18/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान के लिए पूरक योजना की स्वीकृति हेतु व्यय की मदवार व्यय विवरणी :–

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02–2403007960130)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	0130.2802 –संविदा सेवाएँ	6.05	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल योग :–	**6.05**		

(रुपये छः लाख पाँच हजार मात्र)

873
18/02/26

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव